न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 17 / 2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

सुरजाराम पुत्र लाधुराम जाति बिश्नोई सा. वार्ड नं. 17 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
—वादी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र लाधूराम जाति बिश्नोई साकिन संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. हनुमान पुत्र लाधूराम जाति बिश्नोई साकिन संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा पूरानी धान मण्डी संगरिया जरिये प्रबन्धक।
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री रामनिवास बेदी एडवोकेट (वादी)
2. संजीव बिश्नोई एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)

निर्णय दिनांकः— 18.3.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम सें संगरिया तहसील के चक 1 आर.टी.पी. जमाबन्दी संम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 75 / 62 में कुल 0.581है0, कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न वाद—पत्र है। वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कुल कृषि भूमि को लेकर अरसा दराज पूर्व आपस में परिवारजनों के बिच घरू बंटवारा हो चूका है। घरू बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने अपने हक हिस्से का परित्याग मुझ वादी के पक्ष मे घरू बंटवारा अनुसार कर दिया हैं अब उक्त खाता में प्रतिवादी सं. 1 व 2 कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है। घरू बंटवारा अनुसार वादी के कब्जा काश्त व हक व हिस्सा की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

वादी सुरजाराम की कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण :—

चक 1 आर.टी.पी. जमाबन्दी सं. 2071 से 2074 खाता सं. 75 / 62

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
195 / 162	5	21 / 0.253,
195 / 164	13	10 / 0.253, 12 / 1 / 0.025, 12 / 2 / 0.050गै.मु.रास्ता

उपरोक्त भूमि पर वादी ने भारी रूपया खर्च कर सुधार कर भूमि का सही लेवल करवार सिचाई योग्य बनाया हैं आज वादी की उपरोक्त भूमि पर शान्तिपुर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वाद—पत्र कि चरण सं. 2 में वर्णित भूमि घरू बंटवारा मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। बैक ऋण लेने व आबयाना जमा करवाने को लेकर बिना वजह विवाद रहता है। जबकि वादी वाद—पत्र कि चरण सं. 3 में वर्णितानुसार घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी की घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर आज भी मौका पर फसल काश्त हैं। वादी आज भी घरू बंटवारा में प्राप्त वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित समपूर्ण खाता का खातेदार कहलाने का अधिकारी एवम दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से नम्र निवेदन किया कि वो वाद—पत्र कि चरण सं. 3 मुताबिक वादी को खातेदार काश्तकार मान लेवे व राजस्व रिकोर्ड में वादीगण का नाम कब्जा काश्त मुताबिक राजस्व रिकोर्ड में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

दर्ज करवा देवे। तो पहले तो वह आज कल आज कल करते रहे लेकिन बाद मे ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। वाद–पत्र में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 को सह–हिस्सेंदार होने के कारण व प्रतिवादी सं. 3 को नाम भूमि रहन होने के कारण व प्रतिवादी सं. 4 भूमि धारक होनें के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ प्रत्यक्षतय कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद वादी खातेदारी अधिकारों कि घोषणा का है, जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है। तथा काबिल सामयत अदालत वाला व अन्दर मियाद है।

अतः वाद वादी पेश कर अर्ज है। कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं. 3 मुताबिक चक 1 आर.टी.पी. जमाबन्दी सं. 2071 से 2074 खाता सं. 75/62 मे दर्ज कुल हिस्सा 0.581है0 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार है व चक 1 आर.टी.पी. के जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं. 75/62 से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन कर हिस्सा वादी के नाम दर्ज किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एव प्रति.सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही। प्रतिवादी सं. 4 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया व चक 1 आरटीपी खाता सं. 75/62 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 की जमाबंदी प्रदर्श 1 व राजकीय कृषि भूमि की सनद पुस्तक संख्या 34 क्रम संख्या 29 प्रदर्श–2 एव इसी चक का नामान्तरण संख्या 224 दिनांक 08.03.99 की फोटो प्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 1 आरटीपी खाता सं. 75/62 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने सनद व नामान्तरण संख्या 224 दिनांक 08.03.99 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भाई है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम है जो सनद संख्या 34 व नामान्तरण संख्यष 224 से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। उसलिए प्रकरण में

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 1 आरटीपी के खाता संख्या 75/62 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 रामकुमार पुत्र लाधूराम व प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान पुत्र लाधूराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी सुरजाराम पुत्र लाधुराम को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.3.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया